अपील सूचना अधिकार संख्या 70/2020 (RCMS 2020/00117) श्री जयप्रकश हरवानी, निवासी मकान नं. 157, पार्श्वनाथ सिटी, संगरिया पाल, बाईपास रोड़, जोधपुर <u>बनाम</u> उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

<u>27.11.2020</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जयप्रकाश हरवानी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को एक आवेदन पत्र आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2020 को प्रस्तुत करके चौदह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे गलत, झूठी एवं भ्रामक सूचनाएं उपलब्ध करवाई है। इसलिए उसे निःशुल्क सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी जयप्रकाश हरवानी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रभारी अधिकारी (पुर्नवास, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 39 दिनांक 10.02.2012 के द्वारा अवगत करवाया है कि श्रीमती ठाकी बाई बेवा माधवदास को कुल 92.03 बीघा रकबा का आवंटन हुआ है तथा सनद संख्या 6687 कुल 67.15 बीघा रकबा की जारी की गई है।(मय विवरण अवगत कराया है पत्र संलग्न) जिस भूमि का कब्जा नहीं मिला है उसका भी मय विवरण उल्लेख करते हुए अवगत कराया है कि कुल 25.08 बीघा का कब्जा नहीं

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मिला। बैंक कार्यवाही दिनांक 13.05.2019 में लिखा है कि श्रीमती ठाकी बाई पत्नी माधव दास साकिन जोधपुर को जारी सनद 67/15 बीघा में से 48.10 बीघा प्रार्थीया के नाम खातेदारी दर्ज हुआ है जब सनद 67.15 बीघा तथ्यों के आधार पर मय विवरण जारी की गयी है तो फिर 48.10 बीघा ही खातेदारी दर्ज करने के तथ्यों की मय प्रमाण सूचना दें (सनद प्रति संलग्न)

2. पत्रानुसार 67.15 बीघा रकबा आवंटित होने के पश्चात ही सनद जारी हुई है तथा 48.10 बीघा खातेदारी दर्ज हुयी है शेष 19.05 बीघा रकबा खातेदारी दर्जं नहीं करने के तथ्यों की सूचना मय प्रमाण दें।
3. बिन्दु 2 सूचना मुझे कब तक प्राप्त हो जायेगी मय प्रमाण सूचना दें।
4. प्रार्थीया के नाम दर्ज 48.10 बीघा रकबा खातेदारी की प्रति मय प्रमाण दे।
5. प्रार्थीया के नाम दर्ज 48.10 बीघा रकबा खातेदारी किस किसा स्थान पर व किन–किन खसरों में कितना कितना रकबा आवंटित है, की सूचना मय प्रमाण दें।
6. बैंठक कार्यवाही दिनांक 13.05.2019 के तहत अवगत करवाया गया था कि 41.10 बीघा विक्रय की गयी मय तथ्या बिन्दुवार सूचना दें।
7. विक्रय पश्चात जिस व्यक्ति के नाम उक्त भूमि का नामान्तरण जमाबन्दी में किया गया है उसकी प्रमाणित प्रति दें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

8. जारी सनद के अनुसार 67.15 बीघा रकबा का आवंटन है परन्तु आपने खातेदारी 48.10 बीघा रकबा दर्ज होना बताया है। सनद के अनुसार शेष रकबा की स्थिति मय प्रमाण बताए की वह कहां पर स्थित/विद्यमान है।
9. शेष भूमि का भौतिक सत्यापन करवाने के नियमों की मय प्रमाण सूचना दें।
10. द्वारा जारी सनद सं. 6687 दिनांक 22.05.1969 के अनुसार 67.15 जारी की गई है जबकि खातेदारी 48.10 बीघा दर्ज है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश एफ 2(67) पुनर्वास/64 दिनांक 05.02.1979 के अनुसार 25 बीघा कृषि भूमि का आवंटन किया जा सकात है। अतः नियमों के अनुसार जारी सनद की वैद्यता सही रहेगी अथवा नहीं, मय प्रमाण सूचना दे।
11. राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश एफ2(67)पुनर्वास/64 दिनांक 05.02.1979 की प्रमाणिक प्रति दे।
12. यदि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश प्रार्थीया के प्रकरण में लागू होते है तो किन नियमों के तहत 25 बीघा रकबा से अधिक कृषि भूमि का आवंटन किया गया है। मय प्रमाण सूचना दे।
13. आर.टी.आई एक्ट के तहत उस धारा/नियम की प्रति दें जिसमें प्रार्थीया द्वारा सूचना मांगने पर उसे 600 कि.मी. दूर से बुलाकर रिकॉर्ड का अवलोकन करवाकर सूचना देने का प्रावधान है।
14. प्रार्थीया को भूमि का आवंटन कर सनद 22.05.1969 को

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जारी की गयी है तो उस प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश एफ2(67)पुनर्वास/64 दिनांक 05.02.1979 के प्रार्थीया पर लागू होने के नियमों की मय प्रमाण सूचना दें।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक विविध/पुर्नवास/2020/75 दिनांक 28.02.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत में लेख है कि प्रसंगाधीन पत्रांक के साथ आपका आर.टी.आई. आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2020 जो की सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय को हस्तांतरित होकर दिनांक 04.02.2020 को प्राप्त हुआ है। जिसकी बिन्दुवार प्रति उत्तर निम्नप्रकार है:

क्र.सं.	वांछित सूचना	प्रतिउत्तर
1	प्रभारी अधिकारी (पुर्नवास, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 39 दिनांक 10.02.2012 के द्वारा अवगत करवाया है कि श्रीमती ठाकी बाई बेवा माधवदास को कुल 92.03 बीघा रकबा का आवंटन हुआ है तथा सनद संख्या 6687 कुल 67.15 बीघा रकबा की जारी की गई है। (मय विवरण अवगत कराया है पत्र संलग्न) जिस भूमि का कब्जा नहीं मिला है उसका भी मय विवरण उल्लेख करते हुए अवगत कराया है कि कुल 25.08 बीघा का कब्जा नहीं मिला। बैंक कार्यवाही दिनांक 13.05.2019 में लिखा है कि श्रीमती ठाकी बाई पत्नी माधव दास साकिन जोधपुर को जारी सनद 67/15 बीघा में से 48.10 बीघा प्रार्थीया के नाम खातेदारी दर्ज हुआ है जब सनद 67.15 बीघा तथ्यों के आधार पर मय विवरण जारी की	प्रश्नात्मक है। लोक सूचना अधिकारी से किसी कार्य को किये जाने, न किये जाने के सम्बन्ध में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत किसी प्रकार का स्पष्टीकरण/ कारण दिया नहीं जा सकता है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

	गयी है तो फिर 48.10 बीघा ही खातेदारी दर्ज करने के तथ्यों की मय प्रमाण सूचना दें (सनद प्रति संलग्न)	
2	पत्रानुसार 67.15 बीघा रकबा आवंटित होने के पश्चात ही सनद जीार हुइ है तथा 48.10 बीघा खातेदारी दर्ज हुयी है शेष 19.05 बीघा रकबा खातेदारी दर्ज नहीं करने के तथ्यों की सूचना मय प्रमाण दें।	- - - do - - -
3	बिन्दु 2 सूचना मुझे कब तक प्राप्त हो जायेगी मय प्रमाण सूचना दें।	- - - do - - -
4	प्रार्थीया के नाम दर्ज 48.10 बीघा रकबा खातेदारी की प्रति मय प्रमाण दे।	विवरण स्पष्ट न होने के कारण सूचना देय नहीं है।
5	प्रार्थीया के नाम दर्ज 48.10 बीघा रकबा खातेदारी किस किसा स्थान पर व किन–किन खसरों में कितना कितना रकबा आवंटित है, की सूचना मय प्रमाण दें।	**प्रश्नात्मक है।** लोक सूचना अधिकारी से किसी कार्य को किये जाने न किये जाने के संबंध में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत किसी प्रकार का स्पष्टीकरण/ कारण दिया नहीं जा सकता है।
6	बैंठक कार्यवाही दिनांक 13.05.2019 के तहत अवगत करवाया गया था कि 41.10 बीघा विक्रय की गयी मय तथ्या बिन्दुवार सूचना दें।	विवरण स्पष्ट न होने के कारण सूचना देय नहीं है।
7	विक्रय पश्चात जिस व्यक्ति के नाम उक्त भूमि का नामान्तरण जमाबन्दी में किया गया है उसकी प्रमाणित प्रति दें।	**प्रश्नात्मक है।** लोक सूचना अधिकारी से किसी कार्य को किये जाने न किये जाने के सम्बन्ध में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत किसी प्रकार का

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

		स्पष्टीकरण/ कारण दिया नहीं जा सकता है।
8	जारी सनद के अनुसार 67.15 बीघा रकबा का आवंटन है परन्तु आपने खातेदारी 48.10 बीघा रकबा दर्ज होना बताया है। सनद के अनुसार शेष रकबा की स्थिति मय प्रमाण बताए की वह कहां पर स्थित/विद्यमान है।	- - - do - - -
9	शेष भूमि का भौतिम सत्यापन करवाने के नियमों की मय प्रमाण सूचना दें।	- - - do - - -
10	द्वारा जारी सनद सं. 6687 दिनांक 22.05.1969 के अनुसार 67.15 जारी की गई है जबकि खातेदारी 48.10 बीघा दर्ज है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश एफ 2(67) पुनर्वास/64 दिनांक 05.02.1979 के अनुसार 25 बीघा कृषि भूमि का आवंटन किया जा सकात है। अतः नियमों के अनुसार जारी सनद की वैद्यता सही रहेगी अथवा नहीं, मय प्रमाण सूचना दे।	सूचना सृजन करना सूचना के अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं है एवं राय नहीं दी जा सकती।
11	राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश एफ2(67)पुनर्वास/64 दिनांक 05.02. 1979 की प्रमाणिक प्रति दे।	राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश 05.02. 1979 इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होन के कारण प्रतिलिपि नहीं दी जा सकती।
12	यदि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश प्रार्थीया के प्रकरण में लागू होते है तो किन नियमों के तहत 25 बीघा रकबा से अधिक कृषि भूमि का आवंटन किया गया है। मय प्रमाण सूचना दे।	**प्रश्नात्मक है।** लोक सूचना अधिकारी से किसी कार्य को किये जाने न किये जाने के संबंध में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत किसी प्रकार का स्पष्टीकरण/ कारण

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

		दिया नहीं जा सकता है।
13	आर.टी.आई एक्ट के तहत उस धारा/नियम की प्रति दें जिसमें प्रार्थीया द्वारा सूचना मांगने पर उसे 600 कि.मी. दूर से बुलाकर रिकॉर्ड का अवलोकन करवाकर सूचना देने का प्रावधान है।	- - - do - - -
14	प्रार्थीया को भूमि का आवंटन कर सनद 22.05.1969 को जारी की गयी है तो उस प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश एफ2(67)पुनर्वास/64 दिनांक 05.02. 1979 के प्रार्थीया पर लागू होने के नियमों की मय प्रमाण सूचना दें।	- - - do - - -

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवाई जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो **निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है।** इसलिए **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 28.02.2020 से अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।** इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर